

The Jharkhand State Highway Authority Act, 2007 Act 12 of 2008

Keyword(s): Text of Act is in Hindi, Text of Act is in Hindi, Authority, Adhyaksha, Upadhyaksha, Parishad, Samiti, Karmchari

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक **झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित**

संख्या ४४७

24 ज्येष्ठ 1930 शकाब्द राँची, शनिवार, 14 जून, 2008

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

11 जून, 2008

संख्या-एल॰ जी॰-07/2007-51/लेज॰, झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 मई, 2008 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जात हैं।

झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2008)

राज्य राजमार्ग या अन्य किसी पथ के विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिए एक राज्य प्राधिकार का गठन करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अन्ठावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय-1 प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--

- 1. (1) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार अधिनियम, 2007कहा जायेगा ।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
 - (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें ।

परिभाषाएं--

- 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-
- (क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार:
- (ख) ''प्राधिकार'' से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन स्थापित झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार:
- (ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है प्राधिकार के अध्यक्षः
- (घ) ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है प्राधिकार का उपाध्यक्ष;
- (ङ) ''परिषदु'' से अभिप्रेत है धारा-4 के अधीन गठित प्राधिकार की शासी परिषद्;
- (च) ''सिमिति'' से अभिप्रेत है धारा-9 के अधीन गठित प्राधिकार की कार्यकारिणी सिमिति;
- (छ) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो प्राधिकार के पूर्णकालिक या प्राधिकार द्वारा यथा विनिश्चित अवधि के लिए सेवा में हो;
- (ज) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली द्वारा विहित;
- (झ) ''मु॰ कार्य॰अ॰'' से अभिप्रेत है मुख्य कार्यपालक अधिकारी;
- (अ) ''राज्य राज्यमार्ग'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2006) की धारा-3 के अन्तर्गत राज्य राजमार्ग के रूप में घोषित कोई राजमार्ग जिसके अन्तर्गत तत्समय उससे अनुलग्न कोई संरचना भी सिम्मिलित है;
- (ट) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत शामिल है कोई कम्पनी, फर्म या संगम या निकाय चाहे निगमित हो या नहीं ।

अध्याय−2 झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्रधिकार

प्राधिकार की स्थापना--

- 3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी तिथि से जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे एक प्राधिकार की स्थापना की जायगी जिसे झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार कहा जायेगा ।
 - (2) प्राधिकार एक निगमित निकाय होगा ।

शासी परिषद्--

4. शासी परिषद् प्राधिकार की उच्चतम नीति निर्माता निकाय होगी और उसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जायगी । परिषद् के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

| (क) | मंत्री, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड | उपाध्यक्ष |
|------------|---|-----------|
| (ख) | मंत्री, वित्त, झारखण्ड | सदस्य |
| (ग) | मंत्री, योजना, झारखण्ड | सदस्य |
| (ঘ) | मुख्य सचिव, झारखण्ड | सदस्य |
| (ङ) | विकास आयुक्त, झारखण्ड | सदस्य |
| (च) | प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड | सदस्य |
| (छ) 🌞 | प्रधान सचिव/सचिव, योजना विभाग, झारखण्ड | सदस्य |
| (ज) | प्रधिकार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी | सदस्य |
| () | (प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड) | |
| (朝) | अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड) | सदस्य |

- (ञ) दो विशेषज्ञ (जो शासी परिषद् द्वारा चयनित किए जायेंगे) विशेषज्ञ-सदस्य
- (ट) प्राधिकार के सदस्य (तकनीकी)

संयोजक सदस्य

शासी परिषद् के सदस्यों की पदाविध और सेवा शर्ते ---

- (1) विशेषज्ञ सदस्यों को छोड़कर शासी परिषद् के सभी सदस्य पदेन सदस्य होंगे ।
 - (2) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों जिनमें से एक अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन या बैंकिंग के क्षेत्र का और दूसरा सिविल अभियंत्रण (अधिमानत: पथ निर्माण) के क्षेत्र से होगा परिषद् द्वारा तीन वर्षों के लिए चयनित किया जायेगा और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय ।

शासी परिषद् के विशोषज्ञ सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता --

- 6. कोई व्यक्तित शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए निर्हित होगा, यदि वह-
 - (क) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा दी गई है जिसमें शासी परिषद् की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, या
 - (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या
 - (ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या
 - (घ) सरकार की या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है ; या
 - (ङ) शासी परिषद् की राय में, प्राधिकार में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है, शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके द्वारा कार्य सम्पादन पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ सकता है।

शासी परिषद् की बैठक--

7.

- (1) शासी परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्य के बारे में, जिसके अन्तर्गत ऐसे बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाएं।
- (2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष शासी परिषद् के किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे । दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत मंत्री (सदस्य) पीठासीन पदाधिकारी हो सर्केंगे ।
- (3) ऐसे सभी प्रश्न जो प्राधिकार के किसी बैठक के समक्ष आएं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाऐंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थित में पीठासीन व्यक्ति द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

शासी परिषद् में रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना--

- 8. शासी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि-
 - (क) शासी परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या
 - (ख) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोइ त्रुटि है, या
 - (ग) शासी परिषद् द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

कार्यकारिणी समिति--

9. एक कार्यकारिणी सिमिति होगी जिसका प्रधान मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे । यह सिमिति शासी परिषद् को प्रतिवेदन देगी और वह ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेवार होगी और ऐसी शिक्तियों का प्रयोग करेगी जो विहित किये जायं अथवा शासी परिषद् द्वारा उसे सौंपे जायं ।

कार्यकारिणी समिति का गठन--

10. कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड)

अध्यक्ष

(ख) सदस्य (वित्त)

सदस्य

(ग) सदस्य (तकनीकी)

सदस्य

(घ) सदस्य (प्रशासन)

सदस्य

समिति के सदस्यों की नियुक्ति हेतु शर्त्त एवं बंधेज--

11. कार्यकारिणी समिति के सदस्य (वित्त), सदस्य (तकनीकी) और सदस्य (प्रशासन) प्राधिकार की नियुक्ति की रीति तथा उनकी सेवा की शर्ते एवं बंधेज ऐसे होंगे जैसा विहित किये जायं ।

प्राधिकार के अधिकारियों, परामर्शदाताओं और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति--

12. (1) अपने कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकार उतनी संख्या में जैसा वह आवश्यक समझे, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसी शार्ते एवं बंधेजों पर जैसा कि विनियमों में अधिकथित किया जाय नियुक्त करेगा ।

(2) प्राधिकार समय-समय पर, किसी ऐसे व्यक्ति को सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे शर्तों एवं बंधेजों पर जो विनियमों में अधिकथित किये जायं, नियुक्त कर सकेगा ।

प्राधिकार का व्यवसाय के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना--

13. इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य के सम्पादन में प्राधिकार, जहां तक हो सके व्यवसाय के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगा ।

अध्याय-3 सम्पत्ति और संविदा

प्राधिकार में कोई भी राज्य राजमार्ग निहित करने या उसे सौपने की राज्य सरकार की शक्त--

14. राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग को जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकार में निहित कर सकेगी या उसे सौप सकेगी ।

राज्य सरकार की आस्तियों और दायित्वों का प्राधिकार को अन्तरण--

15. (1) धारा 14 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से--

b) ऐसी तिथि से ठीक पहले उस धारा के अधीन प्राधिकार ने निहित या सौंपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएँ और दायित्व की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें प्राधिकार के द्वारा उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के वचनबद्ध समझी जाएंगी;

ख) प्राधिकार में इस प्रकार निहित या उसे सौपे गये किसी राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उस तिथि तक उपगत और पूंजीगत व्यय के रूप में राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी अनावर्ती व्यय ऐसे शर्तों एवं बंधेजों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध करायी गयी पूंजी मानी जाएगी ;

- (ग) प्राधिकार में इस प्रकार निहित या उसे सौपे गए किसी राज्य राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में उस तिथि से ठीक पहले राज्य सरकार को देय सभी राशियाँ प्राधिकार को देय समझी जाएगी
- (घ) ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ जो ऐसे राज्य राजमार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में किसी मामले के बाबत उस तिथि से ठीक पहले राज्य सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध दायर हो या दायर की जा सकती थी, प्राधिकार द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी या दायर की जा सकेगी।
- 2. यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि राज्य सरकार की आस्तियों, अधिकारों या दायित्वों में से कौन से प्राधिकार को अन्तरित कर दिएे गए है। तो ऐसे विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकार के लिए भूमि का अर्जन--

- 16. (1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार द्वारा अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए अपेक्षित कोई भूमि लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि समझी जाएगी और प्राधिकार के लिए ऐसी भूमि का अर्जन अधिनियम 1894 के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा ।
 - (2) प्राधिकार के स्विमत्व, नियंत्रण अथवा प्रबन्धन अधीन किसी भी भूमि को लोक भूमि माना जायेगा, जिसके लिए समस्त प्रासंगिक अधिनियम, नियम, विनियम लागू होंगे ।

प्राधिकार द्वारा संविदाएं--

17. धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और उसे कार्यान्वित करने की लिए सक्षम होगा ।

प्राधिकार की ओर से संविदा सम्पादित करने का तरीका--

- 18. (1) प्रिधकार की ओर से प्रत्येक संविदा प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या उसके ऐसे अन्य सदस्य द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा कि सामान्य रूप से या विशेष रूप से इस संबंध में प्राधिकार द्वारा शक्ति प्रदत्त को जाय और ऐसी संविदाएं या एंसे वर्ग की संविदाएं जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए प्राधिकार की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जाएगी । परन्तु अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए कोई संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका पूर्वानुमोदन न कर दिया गया हो ।
 - (2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी संविदा का प्रारूप और रोति ऐसी होंगी, जैसी विनियमों में अधिकथित की जाए ।
 - (3) कोइ भी संविदा जो इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली और विनियमों के उपबन्धों अनुसार नहीं है, प्राधिकार पर आबद्धकर नहीं होगी।

अध्याय-4 प्राधिकार के कृत्य

प्राधिकार के कृत्य--

- 19. (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा उसमें निहित किए गए या सौपे गए राज्य राजमार्ग और उससे अनुलग्न अन्य विस्तार या कोईसंरचना को इस ढंग से विकसित अनुरक्षित एवं प्रतिबंधित करेगा कि अपनी स्थापना से तीन वर्षों के अन्दर राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु सरकारी निधि पर अधिमान्यत: रूप से निर्भर न रह जाय ।
 - (2) उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकार अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए--
 - (क) उसमें निहित या उसे सौंपे गये राजमार्गों का सर्वेक्षण, विकास अनुरक्षण और प्रबन्ध कर सकेगा और ऐसा करने के लिए क्राधिकार अन्य बातों के साथ-साथ:
 - (i) उसे सौंपे गये राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण और उन्नयन के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीक योजनाएं तैयार करेगा;
 - (ii) अनुरक्षण संक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक वैज्ञानिक पथ निर्माण प्रबंधन प्रणाली का विकास करेगा और साथ-साथ राज्य राजमार्गों का निरूपण और निर्माण के लिए मानक निर्धारित करेगा;
 - (iii) निजी और संस्थागत निधिकरण को जिसके अन्तर्गत अन्तराष्ट्रीय निधिकरण भी है, पथ प्रक्षेत्र में लाने के लिए प्रतिरूप विकसित करेगा;
 - (iv) राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए गुणवता वाले निजी संविदाकारों द्वारा सम्पादन पर आधारित अनुरक्षण प्रणाली की पद्धित का विकास करेगा;
 - (v) इन राज्य मार्गों के अनुरक्षण और उन्नयन करने के लिए संस्थागत संसाधन जुटायगा; एवं
 - (vi) इन प्रयोजनों के लिए निजी भागीदारी और संसाधन को प्रोत्साहित करते हुए अनुमोदित योजना के अनुसार राजमार्गों का अनुरक्षण और उन्नयन करेगा:
 - (ख) उसमें निहित या उसे सौंपे गये राजमार्गों के समुचित प्रबंध के लिए उस पर वाहनों के परिचालन का विनियमन और नियंत्रण कर सकेगा;
 - (ग) राज्य में परामर्शदात्री और निर्माण सेवाओं को विकसित और उपलब्ध करा सकेगा और राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के संबंध में या उन पर किन्हीं सुविधाओं के संबंध में अनुसंधान/प्रशिक्षण गतिविधियाँ/मानव संसाधन विकास/राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना कर सकेगा;
 - (घ) उनमें निहित या उसे सौपे गए राजमार्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसी सुविधाओं और प्रसुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा, जो प्राधिकार की राय में ऐसे राजमार्गों पर यतायात की सुविधा एवं निर्वाध परिचालन के लिए आवश्यक हों :
 - (ङ) इस अधिनियम द्वारा उस प्र अधिरोपित कृत्यों का अधिक दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिए कम्पनी अधिनियम,1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन एक या अधिक कम्पनियां बना सकेगा;

- (च) अपने कृत्यों में से किसी कृत्य को ऐसी शर्तों एवं बंधेजों पर जैसा विहित किया जाय किसी व्यक्ति को सौप सकेगा या अनुबंधित कर सकेगा;
- (छ) राज्य राजमार्गों से संबंधित विषयों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा;
- (ज) राज्य सरकार की ओर से ऐसी शर्तों एवं बंधेजों पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जांए, शुल्क एकत्रित कर सकेगा;
- (झ) ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकार को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या उस पर अधिरोपित किसी कृत्य के सम्पादन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो या उनके आनुषंगिक हों;
- (ञ) कार्यालय एवं कर्मशाला का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा सौपे गये राजमार्गों पर या उसके निकट होटल, मोटेल, रेस्तरां एवं विश्रामालय की स्थापना एवं अनुरक्षण कर सकेगा; एवं
- (ट) इसके कर्मचारियों के लिए भवनों एवं टाउनशिप का निर्माण एवं अनुरक्षण कर सकेगा:
- (ठ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकेगा ।
- (3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह--
 - (क) प्राधिकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत करती है या
 - (ख) किसी व्यक्तित को किसी ऐसे कर्तव्य या दायित्व के बाबत कोई कार्यवाही दायर करने हेतु प्राधिकृत करती है, जिसके लिए प्राधिकार या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा विषय नहीं हो ।

अध्याय-5 वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को अतिरिक्त पूंजी और अनुदान--

- 20. राज्य सरकार इस निमित्त, राज्य विधान-सभा द्वारा विधि के माध्यम से किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात--
 - (क) ऐसी शर्तों एवं बंधेजों पर जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करें, पूंजी उपलब्ध करा सकती है, जिसकी प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए या उससे संम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाय ;
 - (ख) प्रधिकार को ऋण या अनुदान स्वरूप ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, का भुगतान ऐसी शर्तों एवं बंधेजों पर कर सकती है जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करें ।

प्राधिकार की निधि--

- 21. (1) एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जायेगा--
 - (क) प्राधिकार द्वारा प्राप्त किया गया कोई अनुदान या सहायता
 - (ख) प्राधिकार द्वारा लिया गया कोई ऋण या उसके द्वारा लिया गया कोई उधार
 - (ग) प्राधिकार द्वारा प्राप्त की गई कोई अन्य राशि
 - (घ) धारा-20 एवं 21 (क),(ख) एवं (ग) में विनिर्दिष्ट सभी धनराशियों को किसी राष्ट्रीयकृत बैक अथवा अधिसूचित बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान में जमा किया जाएगा जैसा कि शासी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाय एवं उक्त राशि का संचालन इस प्रकार होगा, जैसा विहित किया जाय।

- (2) उक्त निधि का उपयोग निम्नलिखित को पूरा करने के लिए किया जाएगा--
 - (क) ऐसे अनुदानों, उधारों या ऋणों के प्रयोजनों जिनके लिए वे प्राप्त हुए है, को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकार के कृत्यों के निर्वहन और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकार के व्यय;
 - (ख) प्राधिकार के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते अन्य पारिश्रमिक या सुविधाएं;
 - (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर और प्रयोजनों के लिए व्यय ।
- (3) प्राधिकार की निधि के विरुद्ध किसी भी बकाया को या किसी भी मांग को लोक मांग माना जायेगा, जिसकी वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अन्तर्गत अनुमान्य होगी ।

बजट---

22. प्राधिकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर और ऐसे प्रपन्न में, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राधिकार की प्राक्किलत प्राप्तियाँ और व्यय दर्शाए जायेंगे और इसे वह राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

निधियों का निवेश--

23. प्राधिकार अपनी निधियों (जिनके अन्तर्गत कोई आरक्षित निधि भी सिम्मिलित है) का निवेश, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा ऐसी अन्य रीति से, जैसी विहित की जाए, कर सकेगा ।

प्राधिकार को उधार लेने की शक्ति--

- 24. (1) प्राधिकार, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए, राज्य सरकार की सहमित से या राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी साधारण या विशेष प्रधिकार के बंधेजों के अनुसार बन्ध-पत्रों, डिबेंचरों या ऐसी ही अन्य लिखतों का जैसा वह ठीक समझे, निर्गमन करके, किसी भी स्रोत से धन उधार ले सकेगा।
 - (2) प्रधिकार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथिक करे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित रकम, ओवर ड्रफ्ट के रूप में या अन्यथा अस्थायी रूप से उधार ले सकेगा ।
 - (3) राज्य सरकार प्राधिकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन लिए गये उधारों के बाबत मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रत्याभृति कर सकेगी ।

वार्षिक प्रतिवेदन--

25. प्राधिकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रपन्न में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाय, अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलाप का पूरा व्योरा देगा और ऐसी प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

लेखा और लेखा परीक्षण--

26. प्राधिकार का लेखा, राज्य के महालेखाकार के परामर्श से, ऐसी रीति से संधारित और लेखा परीक्षित किया जायेगा जो विहित की जाय तथा प्राधिकार ऐसी लेखाओं की एक लेखा-परीक्षित प्रति तत्संबंधी लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ ऐसी तिथि जैसी कि विहित की जाए, से पूर्व राज्य सरकार को भेजेगा ।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को विधान मंडल के समक्ष रखा जाना--

27. राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मण्डल के समक्ष उपस्थापित करेगी ।

अध्याय-6 प्रकीर्ण

शक्तियों का प्रत्यायोजन--

- 28. शासी परिषद् साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकार के अध्यक्ष या परिषद् की उप सिमिति या कार्यकारिणी सिमिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्राधिकार के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी शिक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आदेश में, यदि कोई निर्दिष्ट शत्तों एवं परिसीमाओं के अधीन कर सकेगा परन्तु निम्नलिखित कृत्यों और शिक्तियों का प्रयोग केवल परिषद् द्वारा किया जाएगा ;
 - (क) बाजार या वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक निधियों को उधार लेना । इसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक निधियों और ओवर ड्राफ्ट की व्यवस्था सम्मिलित नहीं होगी ।
 - (ख) ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त करना, जिनका मूल वेतन नियमावली में यथाविहित किसी धनराशि से अधिक हो ।
 - (ग) प्राधिकार के कार्य के लिए विनियमों का बनाया जाना और यदि अपेक्षित हो तो उनमें संशोधन करना ।
 - (घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

प्राधिकार के आदेशों और अन्य लिखितों का अधिप्रमाण--

29. प्राधिकार के सभी आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें अध्यक्ष या प्राधिकार के किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जायेंगे जो प्राधिकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

प्राधिकार के कर्मचारियों का लोक सेवक होना--

30. प्राधिकार के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हो, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या-46 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ में और राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली या निदेशों के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण--

- 31. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या करने के लिए आशायित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई प्राधिकार अथवा प्राधिकार के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।
 - (2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशायित किसी बात से हुए या संभाव्य किसी क्षति के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्रवाई प्राधिकार अथवा प्राधिकार के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

कतिपय कार्यों का भार ग्रहण करने की प्राधिकार की शक्ति--

32. प्राधिकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किन्हीं कार्यों या सेवाओं या कार्यों या सेवाओं के किसी वर्ग को कार्यान्वित करने का भार ऐसी शत्तों एवं बंधेंजों पर ग्रहण कर सकेगा जो प्राधिकार और राज्य सरकार या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार के बीच सहमित हो ।

प्रवेश करने की शक्ति--

- 33. इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, प्राधिकार द्वारा साधारण या विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और-
 - (क) निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच कर सकेगा,
 - (ख) तलमाप ले सकेगा;
 - (ग) अवमृदा को खोद सकेगा या उसके भीतर वेधन कर सकेगा;
 - (घ) कार्य की आशायित रेखा और घेरा डाल सकेगा;
 - (ङ) चिह्न लगाकर और खाइयां खोदकर ऐसा तल, सीमा और रेखाएं चिह्नित कर सकेगा; या
 - (च) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा, जो विहित की जायें;

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी सीमा के भीतर या निवास गृह से "संलग्न, किसी घिरे आंगन या बाग में प्रवेश करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घण्टे की लिखित सूचना ऐसे दखलकार को पहले ही दिये बिना (दखलकार की सहमति को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा ।

राज्य सरकार को प्राधिकार के प्रतिकूल निर्णय को विलोपित करने की शक्ति--

34. यदि प्राधिकार का कोई संकल्प अथवा निदेश राज्य सरकार द्वारा व्यापक नीति मापदंडों के प्रतिकूल हो तो राज्य सरकार उसे विलोपित कर सकती है।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति--

- 35. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
 - (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शिक्त की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्निलिखित के लिए उपबन्ध कर सर्केंगे ।
 - (क) शासी परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों और सदस्य (तकनीकी) सदस्य (वित्त) और सदस्य (प्रशासन) की नियुक्ति पदावधि और सेवा की अन्य शर्ते;
 - (ख) अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और समिति के अन्य सदस्यों की शक्तितयाँ और कर्तव्य;
 - (ग) ऐसी शर्ते एवं बंधेज जिनके अधीन रहते हुए राज्य राजमार्ग के प्रयोजनों के लिए या उसके समब्न्ध में राज्य सरकार द्वारा या उसके लिए उपगत अनावर्ती व्यय, धारा-15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार के लिए उपबन्धित पूंजी के रूप में माना जाएगा
 - (घ) धारा 28 के खण्ड (ख) के अधीन मूल वेतन;
 - (ङ) ऐसी शर्तें एवं बंधेज जिनके अधीन रहते हुए धारा-19 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकार के कृत्यों को सौंपा जाय;
 - (च) प्रपत्र जिसमें और समय जिसके भीतर प्राधिकार धारा-22 के अधीन अपना बजट और धारा-25 के अधीन अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा;
 - (छ) ऐसी रीति जिससे प्राधिकार धारा-23 के अधीन अपनी निधि का निवेश कर सकेगा :
 - (ज) रीति जिससे प्राधिकार के लेखे संधारित किये जायेंगे और उनकी लेखा परीक्षा कराई जाएगी तथा विधि जिसके पूर्व लेखाओं की सम्परीक्षित प्रति तथा उस पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, राज्य सरकार को धारा-26 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी:

11

- (झ) धारा-33 कं अधीन प्रवेश करने की शिक्त के प्रयोग से सम्बन्धित शर्तें और प्रतिबन्ध:
 - (ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाय ।

विनियम बनाने की प्राधिकार की शक्ति--

- 36. (1) प्राधिकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से अंसगत न हो ।
 - (2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सर्केंगे अर्थात:-
 - (क) परिषद् और सिमिति की बैठक के लिए समय और स्थान, और ऐसे बैठकों में किए जाने वाले कार्य के संव्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,
 - (ख) प्राधिकार द्वारा नियुक्त किए जानेवाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं बंधेज, भर्ती की पद्धति और पारिश्रमिक;
 - (ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिससे प्राधिकार द्वारा कोई संविदा या संविदा के वर्ग किए जा सकेंगे और ऐसी संविदाएं या संविदाओं के वे वर्ग, जिन्हें प्राधिकार की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित किया जाना है;
 - (घ) राज्य राजमार्ग के सामान्य संचालन के लिए उसके ऊपर की बाधाओं को रोकने की रीति:
 - (ङ) राज्य राजमार्ग पर प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न स्थानों पर किसी वाहन या गाड़ी के ठहरने या प्रतीक्षा में रखने पर निषेध की रीति;
 - (च) राज्य राजमार्ग के किसी भाग तक पहुँच को निषिद्ध या प्रतिबंधित करने की रीतिः
 - (छ) राज्य राजमार्ग पर और उसके आसपास विज्ञापन को विनियमित या प्रतिबन्धित करने की रीति;
 - (ज) प्राधिकार के कार्य, जिसके अन्तर्गत शिक्तियों का प्रत्यायोजन भी है, के संव्यवहार की रीति; और
 - (झ) सामान्यतया राज्य राजमार्गों का कुशल और उचित प्रबंध और अनुरक्षण ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति--

- 37. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा आदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;
 - (2) इस धारा के अन्तर्गत दिया गया प्रत्येक आदेश इसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशान्त कुमार, सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ।